



भारत में अनुबंध खेती का एक अवलोकन

डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'

असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।
(Corresponding Author: gajendrashodh1988@gmail.com)

सारांश

भारत में अनुबंध खेती, किसानों और कंपनियों के बीच एक समझौता है जहाँ किसान पूर्व-निर्धारित शर्तों के तहत एक विशिष्ट फसल उगाते हैं, जिसमें गुणवत्ता मानक, कीमत और आपूर्ति शामिल होती है। इसके तहत कंपनियां किसानों को इनपुट (बीज, उर्वरक, तकनीकी सहायता) प्रदान करती हैं और बदले में, बाजार की अनिश्चितता के बिना, एक निश्चित मूल्य पर उपज खरीदती हैं। यह व्यवस्था किसानों को एक गारंटीकृत बाजार प्रदान करती है और कृषि में व्यावसायिकता लाती है। अनुबंध खेती से किसानों को उचित मूल्य प्राप्त करने, जोखिम कम करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है। चुनौतियों के बावजूद, बेहतर नीतियों और किसानों की बढ़ती जागरूकता के साथ, भारत में अनुबंध खेती का भविष्य आशाजनक दिखाई देता है। किसानों को अब बाजार संपर्क और विशेषज्ञ सलाहकार सहायता तक बेहतर पहुँच प्राप्त है, जिससे अनुबंध खेती एक अधिक व्यवहार्य और लाभदायक विकल्प बन गई है। हालांकि, अनुबंध खेती की चिंताओं में छोटे किसानों का शोषण, निर्भरता का जोखिम, कानूनी सुरक्षा का अभाव और असमान समझौते शामिल हैं, जो अक्सर किसानों को असुरक्षित बना देते हैं और उनकी सौदेबाजी की शक्ति को सीमित कर देते हैं। अनुबंध खेती की ऐसी चिंताओं का समाधान आवश्यक है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में अनुबंध खेती की विकास प्रक्रिया, प्रकार, लाभ, चुनौतियाँ और विधिक प्रक्रिया का अवलोकन करने का प्रयास किया गया है।

आलेख सूचना:	प्राप्त: 01 अगस्त, 2025	स्वीकृत: 03 सितम्बर, 2025
सारणी: 01	चित्र एवं ग्राफ: 00	स्रोत एवं संदर्भ: 30
मुख्य शब्द:	अनुबंध खेती, फसल-पूर्व समझौता, आपूर्ति श्रृंखला, जोखिम, मॉडल।	

आशय एवं आवश्यकता: आज देश में यह व्यापक विमर्श का विषय है कि कृषि को कैसे पुनर्जीवित किया जाए, क्योंकि भारतीय कृषि लम्बे समय से घाटे का सौदा बनी हुई है। ऐसे में अनुबंध कृषि को प्रोत्साहित करना कृषि के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। चूंकि किसान की बदहाली की मुख्य वजह एक तो जोतों का छोटा आकार है। उदाहरण के लिए, देश में कार्यशील जोतों की संख्या वर्ष 1960-61 में 489.00 लाख थी, जो 3 गुना बढ़कर वर्ष 2015-16 में 1464.54 लाख हो गई और इस दौरान 2 हेक्टेयर या उससे कम जोत वाले सीमांत एवं लघु किसानों की भागीदारी में निरंतर वृद्धि हुई है। इनकी भागीदारी वर्ष 1960-61 में 62.99 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 86.07 प्रतिशत हो गई। स्पष्ट है कि 86 प्रतिशत किसानों के पास 2 हेक्टेयर या उससे भी कम कृषि योग्य भूमि है। लिहाजा जोत का आकार छोटा होने के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है, लेकिन उसका मूल्य उतना नहीं मिल पाता और उन्हें घाटा सहना पड़ता है। दूसरा कारण भारतीय कृषि मानसून आधारित है और मानसूनी अनिश्चितता का फसलोत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन, अनुबंध कृषि में इन दोनों ही समस्याओं का समाधान हो सकता है,

क्योंकि इसमें कई छोटे-छोटे किसान मिलकर एक बड़े किसान के रूप में काम करते हैं और कई किसानों के खेत मिल जाने पर जोत का आकार बढ़ जाता है। फिर किसानों और कंपनियों के बीच उत्पादन की प्राप्ति, खरीद और विपणन की शर्तों को पहले से तय किया जाता है। लिहाजा संबंधित कंपनियाँ कृषकों को कृषि आगत, तकनीकी सलाह, परिवहन सुविधा आदि उपलब्ध कराती हैं। इससे आधारभूत संरचना का विकास होता है और किसान पूर्व निर्धारित गुणवत्ता वाले उत्पाद एक निश्चित समयावधि में उत्पादित कर पाता है। इस तरह, अनुबंध खेती का आशय एक ऐसी व्यवस्था से है, जिसमें किसान और कंपनी मिलकर फसल-पूर्व उत्पादन की मात्रा, गुणवत्ता और कीमत सहित समझौते को शर्तबद्ध करते हैं। इसमें किसान अनुबंधित उत्पादन और उत्पादन संबंधी जोखिमों के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि कंपनी उत्पादन की सुविधाएं और विपणन संबंधी जोखिम उठाने के लिए जिम्मेदार होती है।

यह कृषि आपूर्ति श्रृंखला के अंदर एक प्रकार का ऊर्ध्वाधर एकीकरण है, जहां खरीदार का उत्पादन प्रक्रिया और अंतिम उत्पाद के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है। अनुबंध खेती में किसानों और कंपनियों के बीच मौखिक या लिखित समझौता होता है, जिसमें दो या दो से अधिक घटक शामिल हो सकते हैं और यह अहस्तांतरणीय होता है। इसमें खरीद, प्रसंस्करण, विपणन और व्यापार में कोई भी सरकारी या निजी कंपनी शामिल हो सकती है। अनुबंध खेती स्वतंत्र खेती और कॉरपोरेट खेती के बीच की एक व्यवस्था है, जिसमें मुख्यतः 4 पहलू पूर्व निर्धारित कीमत, मात्रा, गुणवत्ता और समय शामिल होते हैं। ऊर्ध्वाधर एकीकरण का आशय एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक फसल की आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से खरीदार कंपनी के नियंत्रण में होती है। आपूर्ति श्रृंखला में शामिल प्रत्येक सदस्य बाजार के लिए उत्पाद या सेवा प्रदान करता है। इन उत्पादों और सेवाओं को मिलाकर एक सामान्य जरूरत पूरी की जाती है जिसमें कृषि, बागवानी, मुर्गीपालन, दुग्ध उत्पादन आदि कार्य खरीदार और उत्पादक के बीच एक समझौते के तहत किए जाते हैं। खरीदार हमेशा एक कंपनी होती है और उत्पादक के रूप में प्रायः मध्यम या बड़े किसान, किसानों का समूह या कोई उत्पादक सहकारी समिति हो सकती है। हालांकि, उत्पादन पर पूरा नियंत्रण कंपनी के हाथों में होता है। इस तरह, किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़ने के मौजूदा तरीकों के अलावा अनुबंध खेती निम्नलिखित के लिए भी आवश्यक है:

- ❖ किसान-प्रसंस्करणकर्ता संपर्क स्थापित कर लेन-देन की लागत को कम करने के लिए।
- ❖ भारत में उत्पादन और विपणन संबंध बढ़ाने के लिए।
- ❖ बाजार के साथ अपर्याप्त संपर्कों को दूर करने के लिए।
- ❖ पूंजी की कमी, खराब बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि के लिए।
- ❖ फसल पश्चात के नुकसान से बचने के लिए।
- ❖ फसल खरीद की प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए।
- ❖ मौसमी पलायन से बचने के लिए।

भारत में अनुबंध खेती का विकास: वैसे तो भारत में अनुबंध खेती की शुरुआत औपनिवेशिक काल में ही हो गई थी, जब भारतीय किसानों ने इंग्लैंड की कंपनियों के लिए नील की खेती (Collin Indigo) करना शुरू किया था। ब्रिटिश भारत में कई नकदी फसलों जैसे चाय, कॉफी, रबर, अफीम आदि की अनुबंध खेती जागीर मॉडल के तहत हो रही थी। 1920 के दशक में भारतीय तंबाकू कंपनी (आईटीसी) ने आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में तंबाकू में अनुबंध खेती की शुरुआत की थी। आईटीसी ने एक निष्पक्ष अनुबंध खेती व्यवस्था की शुरुआत की थी, जो काफी लोकप्रिय थी। आजादी के बाद उभरती बीज कंपनियों ने बीज उत्पादन के लिए किसानों को अनुबंध खेती से जोड़ने का प्रयास करती रही हैं। चूंकि बीज कंपनियों के पास कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए उनके पास अनुबंध खेती के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।

भारत में अनुबंध खेती के इतिहास में एक बड़ा नाम स्वीडन की बहुराष्ट्रीय कंपनी विमको (Wimco) का है, जो माचिस उद्योग में काफी प्रसिद्ध है। इसने अनुबंध खेती के माध्यम से उत्तर भारत में पॉपलर (चिनार) के पेड़ों को

लगाने की शुरुआत की थी। वर्ष 1989 में पेप्सीको (पेप्सी फूड्स लिमिटेड) और 'निजर एग्रो फूड्स' ने पंजाब के होशियारपुर जिले में टमाटर की अनुबंध खेती की शुरुआत की थी। पेप्सी कंपनी ने भारत में कृषि प्रसंस्करण और अनुबंध खेती को इतना लोकप्रिय बनाया है कि अनुबंध खेती देश के दूसरे क्षेत्रों में भी फैलने लगी और आधुनिक संदर्भ में अनुबंध खेती की असल शुरुआत यहीं से मानी जाती है। 1990 के दशक तक अनुबंध खेती देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल जैसे राज्यों ने अनुबंध खेती में विशेष रुचि दिखाई, उन्होंने निजी कंपनियों और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के साथ व्यवसाय के लिए उपयुक्त नियमों का निर्माण किया। आज अनुबंध खेती भारत के अधिकांश इलाकों में फैल चुकी है। कई राज्य अपनी कृषि को बेहतर बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए नए-नए तरीकों को अपनाकर इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। नकदी फसलों के अलावा धान, मक्का, गेहूं और जौ में भी अनुबंध खेती हो रही है। अनुबंध खेती के विस्तार के साथ अनुबंध और समझौते भी अब जटिल हो रहे हैं, जिसमें कई विशेषीकृत एजेंसियां शामिल होती हैं जो किसानों और निजी कंपनियों के बीच कड़ी की भूमिका निभाती हैं।

चूंकि भारत में पट्टा कानून की वजह से निजी कंपनियां बड़ी जमीन नहीं खरीद सकती हैं, इसलिए अधिक लाभ के लिए बड़े पैमाने पर खेती भी नहीं कर पाती हैं। इसके तोड़ के रूप में कंपनियां अनुबंध खेती का सहारा ले रही हैं। अनुबंध खेती से बिना जमीन के भी वे मनचाहे तरीके से अपनी सामग्रियों और तकनीक से अपनी पसंद की फसलें उगा सकती हैं। अनुबंध खेती में किसान की तरफ से भूमि, श्रम, पशु, ऊर्जा आदि कार्यशील साधन और पानी होता है। कटाई के बाद उत्पाद को अनुबंधीय कंपनी को दे दिया जाता है। कंपनी उत्पाद को या तो प्रसंस्करण कंपनियों को बेच देती है या फिर उत्पादों का प्रसंस्करण करके सीधे निर्यात करती है। इस तरह, भारत में कृषि के व्यवसायीकरण में अनुबंध खेती की एक बड़ी भूमिका है और इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है।

सारणी-1: भारत में अनुबंध खेती का इतिहास

समय	घटनाएं
1860 दशक	अनुबंध के आधार पर उत्तर पूर्व और दक्षिण की पहाड़ियों में चाय और कॉफी की बागवानी, मैदानों में नील और अफीम की खेती शुरू हुई।
1910 दशक	अनुबंध खेती में शामिल किसानों का संकट और उपद्रव हुआ।
1920 दशक	आंध्र प्रदेश में वर्जीनिया तंबाकू में अनुबंध खेती की शुरुआत।
1948-50	महाराष्ट्र में गन्ना सहकारिता और गुजरात में दुग्ध सहकारिता में अनुबंध खेती के बहुत सारे पहलुओं को शामिल किया गया।
1950 दशक	अनुबंध खेती पर आधारित बीज व्यापार की शुरुआत।
1980 दशक	अनुबंध खेती के जरिए पॉपुलर या चिनार की शुरुआत।
1990 दशक	पंजाब में अनुबंध खेती के माध्यम से टमाटर की शुरुआत। यद्यपि बागवानी में अनुबंध खेती की शुरुआत के अनेक प्रयास हुए, लेकिन ज्यादातर नाकाम रहे।
2000 दशक	मध्य प्रदेश में गेहूं और पंजाब में फसल विविधीकरण के लिए अनुबंध खेती के कई प्रकारों की शुरुआत, विशेषीकृत अनुबंध खेती कंपनियों का उभार।
वर्ष 2000	कर्नाटक में खीरे की खेती के साथ अनुबंध खेती की शुरुआत हुई।
वर्ष 2003-04	कृषि सुधार के लिए अनुबंध खेती के नए नीतिगत ढांचे की स्वीकृति।
2004 के बाद	भारत के विभिन्न इलाकों में अनुबंध खेती का प्रभावी विस्तार।
अप्रैल, 2017	कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2017 (एपीएलएम अधिनियम) नाम से आदर्श एपीएमसी अधिनियम लाया गया और राष्ट्रीय कृषि बाजार (नाम) स्थापित किया गया।
22 मई 2018	कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक विनियामक और नीतिगत ढांचा बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 'राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कृषि उपज और पशुधन अनुबंध खेती और सेवाएं (संवर्धन और सुविधा)

	अधिनियम, 2018' लागू किया।
24 सितम्बर, 2020	अनुबंध खेती अधिनियम (सीएफए), 2020 को 'किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर समझौता अधिनियम, 2020' नाम से अधिनियमित किया गया।

कई फसलों का उत्पादन अनुबंध खेती के माध्यम से हो रहा है, जिसमें धान और मक्का जैसी प्रधान फसलें सबसे आगे हैं। कई जगहों पर जैविक खेती को भी अनुबंध खेती के माध्यम से किया जा रहा है। बागवानी, मुर्गीपालन और दुग्ध उत्पादन में भी अनुबंध खेती का विस्तार हो रहा है। देश में बीज उत्पादन और उनके पेटेंट के लिए बड़ी अंतरराष्ट्रीय बीज कंपनियां अनुबंध खेती की तरफ आकर्षित हो रही हैं। चूंकि भारत सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है। इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहां अनुबंध खेती की प्रचुर संभावनाएं दिखती हैं। देश के कृषि क्षेत्र में निजी निवेश लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि अनुबंध खेती से बड़ा फायदा किसे पहुंच रहा है और क्या यह भारत को खाद्य सुरक्षा प्रदान कर पाएगी। किसानों को यह तय करना होगा कि वे अनुबंध खेती करना चाहते हैं या स्वतंत्र खेती, क्योंकि खेती की ऐसी पद्धतियां भी मौजूद हैं जिसमें पर्यावरण का नुकसान पहुंचाए बिना हम खेती कर सकते हैं। खरीदार कंपनियों और किसानों को यह भी देखना होगा कि किन इलाकों में कौन सी फसलों को उगाया जाए ताकि वहां की स्थानीय, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव न पड़े।

अनुबंध खेती के प्रकार: अनुबंध खेती के लिए दो प्रकार के अनुबंध प्रयोग किए जाते हैं, जो निम्न प्रकार हैं:

(i) उत्पादन अनुबंध: इसमें दो प्रकार के अनुबंध शामिल होते हैं, उत्पादन प्रबंधन अनुबंध और संसाधन उपलब्ध कराने वाला अनुबंध। इसमें किसानों को किसी विशेष फसल या पशुपालन के लिए भुगतान किया जाता है। इसमें खरीदार कंपनी का उत्पादन प्रक्रिया के ऊपर अधिकांश नियंत्रण होता है। इसमें अधिकांश निर्णय कंपनियां लेती हैं, किसानों के पास सीमित अधिकार होते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त तकनीक और गुणवत्ता मानकों को कंपनी तय करती है। उत्पादन प्रक्रिया से जुड़े निर्देश कंपनी देती है और किसानों को उन्हें मानना होता है। उत्पाद की कीमत से जुड़े बाजार जोखिम कंपनी पर होते हैं।

(ii) विपणन अनुबंध: इसमें उत्पादन से जुड़े निर्णय किसान खुद लेते हैं। कंपनियां केवल किसानों को बाजार का आश्वासन देती हैं। अनुबंध में एक निश्चित मात्रा और गुणवत्ता पहले से ही तय हो जाती है। इसलिए किसानों को पहले से ही आवश्यक मात्रा और गुणवत्ता के बारे में पता चल जाता है, जिसके अनुसार किसानों को उत्पादन करना होता है।

अनुबंध खेती के मॉडल: पिछले दशकों में कई प्रकार के अनुबंधीय मॉडल उभर कर आए हैं और किसी मॉडल का चुनाव कई बातों जैसे फसल का स्वभाव, मृदा स्थिति, पानी और सिंचाई संसाधनों की उपलब्धता, किसानों की जरूरतें, किसानों और कंपनी के बीच के संबंध आदि पर निर्भर करता है। सही मॉडल का चुनाव कंपनियों के लिए हमेशा चुनौती भरा होता है। देश के विभिन्न इलाकों में अलग-अलग नामों से अनुबंध खेती के कई मॉडल मौजूद हैं। इनमें से पांच प्रमुख मॉडल निम्न प्रकार हैं:

(1) केंद्रीकृत अनुबंध मॉडल: यह पहला अनुबंध मॉडल है, जिसे केंद्रीकृत, द्विपक्षीय या प्रत्यक्ष खरीद मॉडल कहा जाता है। इसमें किसान और कंपनी के बीच प्रत्यक्ष समझौता होता है। यह एक उत्कृष्ट मॉडल है, जिसमें उच्च स्तरीय प्रसंस्करण वाले उत्पादों को शामिल किया जाता है, जैसे चाय, कॉफी, गन्ना, कपास आदि। इसमें कंपनी की भागीदारी अलग-अलग अर्थात् पूर्ण नियंत्रण से लेकर सीमित भागीदारी तक हो सकती है। इसमें किसान और कंपनी एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष खरीद में शामिल तो होते हैं, लेकिन दोनों किसी भी कानूनी दायित्व या बंधन से मुक्त होते हैं। इसमें किसानों को कंपनियों से लागत सामग्री और जरूरी सेवायें प्राप्त होती हैं और बदले में एक निश्चित कीमत पर कंपनी उनका माल खरीद लेती हैं। हालांकि इसमें किसानों के पास यह विकल्प होता है कि वे अपनी लागत सामग्रियां किसी

अन्य से ले सकें और अपने उत्पाद को जहां चाहें वहां बेच सकें। भारत की कई बड़ी खुदरा व्यापार कंपनियां जैसे रिलायंस, फूड बाजार, स्पेंसर आदि इस मॉडल का अनुसरण करते हैं। पंजाब में जब पेप्सी फूड्स कंपनी ने टमाटर की खेती में अनुबंध खेती की शुरुआत की थी तो उसने केंद्रीकृत मॉडल का ही अनुसरण किया था।

(2) त्रिपक्षीय अनुबंध मॉडल: यह दूसरा अनुबंध मॉडल है, जिसे त्रिपक्षीय या बहुपक्षीय मॉडल कहा जाता है। इसकी शुरुआत तब हुई जब किसान सहकारी समितियों में संगठित हुए और वित्तीय संस्थान भी अनुबंधों में शामिल होने लगे। इसमें किसानों और कंपनी के बीच एनजीओ या सरकारी निकाय मध्यस्थ संस्थानों की भूमिका में रहते हैं। भारत में यह मॉडल काफी प्रचलित है। मध्यस्थता के रूप में किसी संयुक्त उद्यम कंपनी के वैधानिक निकाय को भी शामिल किया जाता है। इसमें कई संगठन और कंपनियां शामिल होती हैं, जो किसान के साथ मिलकर काम करती हैं और प्रत्येक की अपनी अलग भूमिका होती है, जैसे ऋण, लागत सामग्री, मशीन, परिवहन, प्रसंस्करण और विपणन इत्यादि। डाबर इंडिया लिमिटेड का अनुबंध खेती में प्रवेश बहुपक्षीय मॉडल का एक बेहतरीन उदाहरण है। इंडियन बैंक और विभिन्न संस्थानों के सहयोग से डाबर कंपनी ने भारत में औषधीय पौधों की अनुबंध खेती का बड़े स्तर पर विस्तार किया है। यह भारत के 13 राज्यों में करीब 3800 एकड़ में अनुबंध खेती कर रही है, जिसके 5,000 से अधिक किसान डाबर के लिए औषधीय पौधे उगाते हैं। उत्पादन, प्रसंस्करण और जैविक खाद्य उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय विपणन कंपनी 'आयन एक्सचेंज इनवॉयरो फॉर्मूस लिमिटेड' ने 'सामुदायिक उत्पादक समूह' के माध्यम से इसी मॉडल पर अनुबंध खेती कर रही है। इसमें सामुदायिक उत्पादक समूह एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। पंजाब में सरकारी कंपनी 'पंजाब एग्रो फूडग्रेन कॉरपोरेशन (पीएएफसी)' दूसरी बीज कंपनियों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते में शामिल है। यह अनुबंध में कीमत तय करने में भूमिका निभाता है।

(3) मध्यस्थ अनुबंध मॉडल: यह तीसरा अनुबंध मॉडल है, जिसमें एक ठेकेदार (एक व्यापारी या प्रसंस्करण निकाय) होता है जो किसी मध्यस्थ संस्था जैसे सहकारी समिति, एनजीओ या अन्य संस्थानों के साथ औपचारिक रूप से अनुबंध में शामिल होता है। दूसरी तरफ किसान मध्यस्थ संस्था के साथ अनुबंध में शामिल होते हैं। यह मॉडल त्रिपक्षीय मॉडल की ही तरह है, हालांकि, इसमें कुछ जिम्मेदारियों और जोखिमों को मध्यस्थ संस्थाओं के ऊपर डाल दिया जाता है, जैसे किसानों का चयन और उनसे फसल की खरीद इत्यादि। उदाहरण के लिए 'हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड' ने रैलिस कंपनी को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गेहूं और धान की खरीद के लिए नियुक्त किया है। इसमें अधिकांश काम जैसे किसानों का चयन, लागत सामग्रियों और एक्सटेंशन सेवाओं को उपलब्ध कराना, फसल की खरीद इत्यादि रैलिस करती है। इस तरह के मॉडल में खरीदार कंपनी का उत्पादन प्रक्रिया में कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसे पूरी तरह से मध्यस्थ संस्था देखती है।

(4) केंद्रक जागीर मॉडल: यह एक जटिल मॉडल है जिसमें ठेकेदार न सिर्फ किसानों से उत्पाद प्राप्त करता है बल्कि उत्पादन में शामिल भूसंपत्ति या जागीर की सीधे निगरानी या बंदोबस्त भी करता है। इस मॉडल का प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया के ऊपर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग शोध एवं प्रजनन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ऐसे मॉडल में उच्च स्तर की सामग्री और प्रबंधन सुविधाओं का प्रयोग होता है। इसमें खरीदार अपनी खुद की जागीर में तो खेती करता ही है, लेकिन उत्पादन बढ़ाने के लिए वह किसानों के साथ भी अनुबंध खेती में शामिल होता है। यह अनुबंध खेती का एक प्रत्यक्ष और सीधा स्वरूप है जहां प्रायोजक कंपनी लागत सामग्रियां किसानों को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें सरकारी विकास संस्थाएं, सरकारी, निजी और कॉरपोरेट प्रायोजक कंपनियां हो सकती हैं। इस मॉडल का अधिकांश प्रयोग वृक्षारोपण और ताड़ के बागान इत्यादि में होता है।

(5) अनौपचारिक अनुबंध मॉडल: इसमें व्यक्तिगत उद्यमियों और छोटी कंपनियों के साथ अनुबंध किया जाता है जो प्रायः एक मौसम के लिए ही होता है। इस मॉडल में फसलों को ज्यादा लागत सामग्रियों या प्रसंस्करण की जरूरत नहीं पड़ती। यह केवल बीज, थोड़ी खाद और थोड़ी बहुत तकनीकी सलाह तक सीमित रहता है। इसका प्रयोग ज्यादातर ताजे फल और सब्जियों में होता है। इसमें कृषि व्यापार कंपनियों का ध्यान केवल गुणवत्ता, छँटाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग

के ऊपर होता है। इसमें कंपनियों का खेती या किसानों के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। ये अनुबंध अल्पकालिक और अनौपचारिक होते हैं।

भारत जैसे बड़े देश में जहां अलग-अलग संस्कृति, जलवायु, मृदा स्थितियां और अनगिनत खेती पद्धतियां मौजूद हैं, यह तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि अनुबंध खेती का कौन सा मॉडल सही है। किसी एक क्षेत्र का मॉडल वहां उपलब्ध संसाधनों के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि मॉडल के चुनाव में किसानों का हित प्राथमिकता में रखा जाना चाहिए।

अनुबंध खेती के लाभ: अध्ययन बताते हैं कि यदि सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो अनुबंध खेती प्रभावी रूप से कृषि उत्पादन और विपणन को प्रोत्साहित कर सकती है। किसानों की आय और कंपनियों की लाभप्रदता बढ़ाने में इसका उल्लेखनीय योगदान हो सकता है। अनुबंध खेती से कृषि में अनिश्चितताओं और जोखिमों को भी कम किया जा सकता है। अनुबंध खेती के फायदे और किसानों को मिलने वाले लाभ का सीधा संबंध बाजार, पर्यावरण, मृदा स्थिति, राजनीतिक वातावरण के साथ है। यदि इनमें कोई बदलाव आता है तो उसका सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ता है। अनुबंध खेती से किसानों और प्रायोजकों के लिए निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं:

1. किसानों के लिए अनुबंध खेती का प्रमुख लाभ यह है कि किसानों को अपने फसल की खरीद और निश्चित समय पर भुगतान की गारंटी मिलती है, जिसके चलते किसान बिचौलियों और दलालों के चंगुल से बच जाते हैं।
2. भारत में अधिकांश कृषि भूमि लघु एवं सीमांत किसानों के पास है। ब्राजील, अमेरिका आदि देशों की तुलना में जहां विशाल खेत होते हैं, भारत में खेत छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटे हुए हैं। इसके अलावा भारत में कोई एकल व्यक्ति अत्यधिक भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में केवल अनुबंध खेती ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे कई छोटे किसानों की जमीनों को एकसाथ जोड़कर बड़े पैमाने पर खेती की जा सकती है। अतः अनुबंध खेती की मदद से प्रायोजक कंपनी उस भूमि पर फसलोत्पादन कर सकती है, जो अन्यथा उसके पास उपलब्ध नहीं हो सकती है। इसमें प्रायोजक निजी कंपनियों को एक लाभ यह भी है कि उन्हें अब कृषि भूमि खरीदने की जरूरत ही नहीं है। जबकि जमीनों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इन्हें हासिल करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में अनुबंध खेती प्रतिस्पर्धात्मक हो जाती है। विशेष रूप से उन फसलों के लिए जहां बड़े स्तर पर उत्पादन करने से अच्छा लाभ कमाया जा सकता है।
3. अनुबंध खेती में प्रायः बीज, खाद, कीटनाशक आदि के रूप में उत्पादन सहायता का प्रावधान होता है। फसल की अपेक्षित गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए कई खरीदार पानी डालने का अंतराल, खाद डालने, निड़ाई संबंधी सलाह देना, कृषि विशेषज्ञों का दौरा, किसानों का शिक्षण-प्रशिक्षण जैसी अतिरिक्त सेवाएं भी प्रदान करते हैं। अतः जिन किसानों के पास खेती के दौरान पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होती है, उनके लिए तो यह वरदान के समान है।
4. अनुबंध खेती से क्रेडिट की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। ग्रामीण इलाकों में किसानों के पास संस्थानिक ऋण की उपलब्धता न के बराबर होती है और जरूरत के समय किसानों को प्रायः स्थानीय साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है, जो किसानों का शोषण करते हैं। अनुबंध खेती के माध्यम से किसानों के पास उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था हो जाती है। अब तो बैंक भी अनुबंध खेती में शामिल हो कर कृषि व्यापार कंपनियों के साथ मिलकर किसानों को खेती के लिए कर्ज उपलब्ध करा रहे हैं।
5. अनुबंध खेती से उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग और कृषि का आधुनिकीकरण बढ़ता है। चूंकि खरीदारों को हमेशा उच्च गुणवत्ता और उच्च उत्पादकता चाहिए होती है और यह तभी संभव हो पाता है, जब किसानों के पास उपयुक्त तकनीक और सही जानकारी उपलब्ध हो। इसलिए, अनुबंध खेती में प्रायः नई तकनीकों, मशीनों, उपकरणों और खेती के नए तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा कीमत होने के कारण व्यक्तिगत स्तर पर किसान इन्हें हासिल कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं। जबकि अनुबंध खेती में किसानों को यह सब असानी से उपलब्ध हो जाता है। खेती के बारे में उनके ज्ञान और क्षमता में भी वृद्धि होती है।

6. अनुबंध खेती में शामिल किसानों को नए कौशल जैसे हिसाब-किताब का रिकॉर्ड रखना, खेत के संसाधनों का कुशल उपयोग, रसायन और खाद डालने के उन्नत तरीके, निर्यात बाजार की मांग और उत्पाद गुणवत्ता के महत्व की समझ आदि सीखने का अवसर प्राप्त होता है। एक्सटेंशन सेवा प्रदाताओं से किसानों को नया अनुभव प्राप्त होता है। वे बाजार की आधारिक संरचना और मानव पूंजी में निवेश करना सीखते हैं। अनुबंध खेती से प्राप्त नई तकनीकों और जानकारी का प्रयोग किसान अन्य नकदी और निर्वाही फसलों पर कर सकते हैं।
7. अनुबंध खेती से किसानों को अपने उत्पाद के लिए निश्चित कीमत की गारंटी मिलती है। अपनी फसल का उचित दाम प्राप्त करना किसानों के लिए हमेशा एक चिंता का विषय रहा है। बाजार कीमतों के आधार पर उत्पादों के मूल्य में उतार-चढ़ाव होता रहता है, जिसके कारण उपज की बिक्री में हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। जबकि अनुबंध खेती में पहले से ही कीमत तय हो जाती है जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलती है।
8. अनुबंध खेती से किसानों की विश्वसनीय बाजार तक पहुंच सुनिश्चित होती है। प्रायः सामान्य किसानों के लिए बाजार के सीमित अवसरों का लाभ उठा पाना बड़ा मुश्किल होता है, जिसके कारण इनके लिए अपनी खेती के तरीकों को बदलना या नई फसलों को उगाना आसान नहीं होता है। जबकि अनुबंध खेती किसानों को विभिन्न प्रकार की फसलों को परखने का अवसर प्रदान करती है। इसमें किसानों का नए खरीदारों को ढूंढने और मोलभाव करने की सिरदर्दी नहीं रहती है।
9. चूंकि अधिकतम गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया के ऊपर कड़ी पकड़ होना जरूरी है। इसलिए, कृषि व्यापार कंपनियां उत्पादन खर्च और लागत सामग्रियां जैसे मजदूर, प्रयुक्त औजार आदि पर कड़ी निगरानी रखते हैं। उत्पादन में एकरूपता हासिल करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया पर कंपनियों का गहरा नियंत्रण होता है। उपभोक्ताओं की बढ़ती वरीयता को ध्यान में रखते हुए उत्पादों में तुरंत बदलाव लाकर सामंजस्य स्थापित करना होता है, जो पारंपरिक खेती में संभव नहीं हो पाता है। इसलिए, अनुबंध खेती किसानों को तुरंत नई स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए तैयार करती है।
10. अनुबंध खेती भारत के करोड़ों छोटे किसानों के साथ जुड़ने में अनुबंध प्रायोजकों और कृषि व्यापार कंपनियों को कई प्रकार के लाभ जैसे प्रसंस्करण कंपनियों के लिए बिना रुकावट कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति, बाजार कीमतों में उतार-चढ़ाव से संरक्षण, सुगम दीर्घकालिक योजना बनाना, दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का बनना, आपूर्तिकर्ताओं का समर्पित आधार, कंपनी की साख का बनना आदि उपलब्ध कराती है।
11. अनुबंध खेती भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में राजनीतिक स्वीकार्यता भी बढ़ाती है। चूंकि भूमि पट्टा कानून के कारण बड़ी कंपनियां किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं कर पाती है और 'उच्चतम भूमि सीमा अधिनियम' कंपनियों को बड़ी मात्रा में कृषि भूमि खरीदने से रोकता है। ऐसी स्थिति में कृषि व्यापार कंपनियों के पास केवल एक यही रास्ता है कि वे कई किसानों को एक साथ जोड़कर अनुबंध खेती करें ताकि बड़े पैमाने में उत्पादन किया जा सके। इसमें सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति भी शामिल है। अनुबंध खेती को एक उदारतापूर्ण कार्य के रूप में भी देखा जाता है, जो किसानों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद करती है।
12. अनुबंध खेती उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन और जोखिम का बंटवारा सुनिश्चित करती है। चूंकि खेती एक जोखिमपूर्ण कार्य है जो प्रकृति की अनियमितताओं के अधीन है। ऐसे में अनुबंध खेती किसानों और कंपनियों को उत्पादन में सम्मिलित जोखिम को समझने में सक्षम बनाता है। अनुबंध के अंदर इन जोखिमों को आपस में बांट लिया जाता है। किसान या कंपनी द्वारा समझौते की शर्तों का पालन न करना भी जोखिम है, जो कई बार अनुबंध खेती में दिख जाता है। काम करते-करते कंपनी और किसानों के बीच धीरे-धीरे विश्वास बढ़ता जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन से जुड़े जोखिमों को बांटने की क्षमता भी बढ़ती जाती है।
13. अनुबंध खेती से गुणवत्ता की स्थिरता सुनिश्चित होती है। चूंकि निर्यात या सुपरमार्केट में वितरण के लिए प्रायोजक कंपनियां उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की मांग करती हैं। उपभोक्ता भी अब खाद्य जरूरतों के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं और वे भी उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की मांग करने लगे हैं। इसलिए अनुबंध खेती में

उत्पादन के दौरान गुणवत्ता के ऊपर खास ध्यान रखा जाता है। उत्पादन की गुणवत्ता में स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्पादन प्रक्रिया के ऊपर कंपनियों की कड़ी निगरानी और पूरा नियंत्रण होता है।

इस तरह, जैसे-जैसे अनुबंध खेती लोकप्रिय होती जा रही है, यह कृषि व्यापार कंपनियों का किसानों के साथ सीधे जुड़ने का एक पसंदीदा तरीका भी बनती जा रही है। जैसे-जैसे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की बढ़ती मांग के साथ ज्यादा से ज्यादा कंपनियां अनुबंध खेती की ओर रुख कर रही हैं ताकि शहरी मध्यमवर्ग की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। कृषि खुदरा व्यापार और प्रसंस्करण में लगातार व्यवसायिक निवेश बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ, यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करने का आधार बन सकती है और कृषि को लाभकारी उद्यम की ओर अग्रसर कर सकती है। फिलहाल देश में खेती योग्य भूमि का केवल 2 प्रतिशत हिस्सा ही अनुबंध खेती के अंतर्गत आता है, लेकिन खाद्य एवं कृषि उद्योग में बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अनुबंध खेती का दायरा लगातार बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए, बिग इंडिया फार्म्स, डाबर इंडिया लिमिटेड, गुडरिक ग्रुप लिमिटेड, रैलिस इंडिया लिमिटेड, टाटा कॉफी लिमिटेड, पैसिफिक हर्ब्स एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, आनंद एग्रो ग्रुप, बारामती एग्रो लिमिटेड, हिमालय हर्बल हेल्थकेयर, पीवी एग्रो, दौलत फार्म्स ग्रुप, लुईस ड्रेफस कंपनी, सिंजेन्टा इंडिया, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, पायनियर (कॉर्टेवा एग्रीसाइंस), कृषक भारती सहकारी लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, सतलुज एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड, न्यूडेल, अमूल, एगरोटेक फूड लिमिटेड, मदर डेयरी, रिलायंस फ्रेश प्रोड्यूसर्स, जैन सिंचाई प्रणाली आदि ब्रांड आज भारत में अनुबंध खेती को एक नए स्तर पर ले गए हैं।

अनुबंध कृषि हेतु विधिक प्रयास: केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में अनुबंध खेती को सुगमता, कार्यशील समानता और वैधता प्रदान करने के लिए 'कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) विनियमन मॉडल अधिनियम, 2003' बनाया, जिसे 'एपीएमसी मॉडल एक्ट, 2003' भी कहा जाता है। यह अधिनियम में कृषि बाजार में निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के साथ दलालों और बिचौलियों को खत्म करने का प्रयास करता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है (ताकि वे सीधे कंपनियों को अपना उत्पादन बेच सकें) और कंपनियों के लिए खरीद मूल्य को कम करना है (ताकि वे सीधे किसानों से उचित कीमत पर कच्चा माल खरीद सकें)। हालांकि, वर्ष 2003 के मॉडल एक्ट से पहले किसानों से सीधे उनके उत्पाद खरीदने की अनुमति नहीं थी और निजी थोक बाजार या मण्डी बनाना भी ज्यादातर राज्यों में संभव नहीं था, जिसके कारण स्थानीय व्यापारी अपना गुट अथवा संघ बना लेते थे और जोड़-तोड़ करके खरीद मूल्य को कम रखते थे जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता और वे हमेशा नुकसान में रहते हैं।

चूंकि देश के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में आधारिक संरचना और किसानों के लिए बाजार सुविधाओं की काफी कमी है। किसानों को अपना माल बेचने के लिए निकटवर्ती शहर तक की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। नजदीक बाजार न होने के कारण किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर बिचौलिए उनके उत्पादों को सस्ते दामों में हड़पते रहे हैं। ग्रामीण कृषि आपूर्ति श्रृंखला में एक नहीं कई मध्यवर्ती संस्थाएं हैं जो आग में घी का काम करती हैं। केवल किसानों को ही उनकी मेहनत का मूल्य नहीं मिल पाता, अन्य सभी मध्यवर्ती संस्थाएं अपना मुनाफा कमा लेती हैं। ग्रामीण आधारिक संरचना न होने के कारण आपूर्ति श्रृंखला इतनी बड़ी हो जाती है और बीच में इतने ज्यादा बिचौलिए घटक हो जाते हैं कि किसानों का हिस्सा लगातार सिकुड़ता जाता है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने "एपीएमसी मॉडल एक्ट, 2003" बनाया ताकि सीधी बिक्री और अनुबंध खेती को प्रोत्साहित किया जा सके, जहां किसान अनुबंध खेती के माध्यम से कंपनियों को सीधे अपना माल बेच सकें। केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया कि वे इसके अनुसार अपने कृषि मण्डी कानून में उपयुक्त बदलाव करें।

इसके बाद पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने बिना समय गंवाए अपने अधिनियमों को संशोधित कर दिया। लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी पुराने कानून चल रहे हैं। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखण्ड ने एपीएमसी अधिनियम, 2003 को पूरी तरह से

लागू किया गया है। कुछ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने इसको आंशिक रूप से लागू किया गया है। उदाहरण के लिए, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल ने सीधे बिक्री के लिए; मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, और चंडीगढ़ ने अनुबंध खेती के लिए; पंजाब, पश्चिम बंगाल, और चंडीगढ़ ने निजी मार्केट मण्डी के लिए या तो अपने पूर्व प्रभावी कानून को संशोधित किया है या फिर कानून बनाए हैं। केरल, मणिपुर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप में एपीएमसी कानून नहीं होने के कारण सुधारों की जरूरत ही नहीं है। बिहार ने 1 सितंबर 2006 को अपने एपीएमसी कानून को निरस्त ही कर दिया है। तमिलनाडु के एपीएमसी अधिनियम में पहले से ही इन सुधारों का प्रावधान है। मेघालय, जम्मू और कश्मीर, पांडिचेरी, और उत्तर प्रदेश में सुधारों की शुरुआत ही नहीं हुई है। इस प्रकार कुछ राज्यों में एपीएमसी अधिनियम ही नहीं है और कुछ राज्यों ने इसे आंशिक रूप से लागू किया है। केन्द्र सरकार ने पाया कि 'एपीएमसी मॉडल एक्ट, 2003' के तहत 20 राज्यों ने अनुबंध खेती के लिए अपने एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन किया है, जबकि पंजाब में अनुबंध खेती पर एक अलग कानून है। हालांकि, अक्टूबर 2016 तक केवल 14 राज्यों ने अनुबंध खेती से संबंधित नियमों को अधिसूचित किया था। इसके समाधान के लिए अंततः भारत सरकार द्वारा मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम, 2018 का मसौदा निर्मित किया गया।

मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम, 2018: कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक विनियामक और नीतिगत ढांचा बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने बेहतर मूल्य रिटर्न सुनिश्चित करने, फसल पश्चात होने वाले नुकसान को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु किसानों को कृषि-उद्योगों के साथ एकीकृत करने के लिए एक "मॉडल अनुबंध खेती अधिनियम मसौदा समिति" गठित की, जिसने 23 दिसंबर 2017 को मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम का मसौदा निर्मित किया, जिसका शीर्षक 'राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कृषि उपज और पशुधन अनुबंध खेती और सेवाएं (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2018' था। इसके बाद 22 मई 2018 को भारत सरकार ने "राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कृषि उपज और पशुधन अनुबंध खेती और सेवाएं (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2018" लागू किया गया। इसमें अनुबंध कृषि को समवर्ती सूची के तहत शामिल किया गया है, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है। सरकार द्वारा अनुबंध कृषि में संलग्न फर्मों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत खाद्य फसलों की भंडारण सीमा एवं आवाजाही पर मौजूदा लाइसेंसिंग और प्रतिबंध से छूट दी गई। इसके अनुसार अनुबंध खेती के लिए, कृषि उत्पादन खरीदारों और उत्पादकों के बीच फसल-पूर्व समझौते किए जा सकते हैं। उत्पादक भविष्य में समझौते के अनुसार खरीदार को एक निश्चित मूल्य पर कृषि उपज बेच सकता है। उत्पादक बाजार मूल्य और मांग में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम कर सकता है। खरीदार गुणवत्ता वाले उत्पाद की अनुपलब्धता के जोखिम को कम कर सकता है। उत्पादक समझौते के अनुसार कृषि आगतों के माध्यम से उत्पादन में सुधार के लिए खरीदार से सहायता प्राप्त कर सकता है। हालांकि, खरीदार उत्पादक की भूमि पर कोई स्थायी संरचना नहीं बना सकता है। उत्पादक की भूमि के अधिकार या स्वामित्व को खरीदार को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।

मॉडल एक्ट के अनुसार, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग राज्य एपीएमसी के दायरे से बाहर होगी। खरीदारों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए एपीएमसी को मार्केट फीस और कमीशन चार्ज नहीं देना होगा। अनुबंध के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक राज्य-स्तरीय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया जाएगा। प्राधिकरण के कार्यों में (i) सुविधा शुल्क लगाना और इकट्टा करना, (ii) अनुबंध के विवादों से संबंधित अपीलों का निपटारा करना (iii) कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रचार करना शामिल है। अनुबंधित उपज की बिक्री और खरीद संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एपीएमसी के विनियमन के दायरे से बाहर है।

चूंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अनुसार नियंत्रण आदेशों के माध्यम से स्टॉकहोल्डिंग सीमाएँ लगाई जाती हैं। स्टॉकहोल्डिंग सीमा के ऐसे प्रावधान प्रतिबंधात्मक हो सकते हैं और खरीदारों को अनुबंध करने से हतोत्साहित कर सकते हैं। इसलिए, व्यापार के हित में खरीदारों को उनकी आवश्यकता के छह महीने तक स्टॉक सीमा से छूट दी जा सकती है। अनुबंध खेती के तहत खरीदी गई उपज पर कृषि उपज की स्टॉकहोल्डिंग की सीमा लागू नहीं होगी। यह भी कहा गया कि अनुबंध खेती का उद्देश्य किसानों को वैकल्पिक विपणन चैनल और बेहतर मूल्य

प्राप्ति प्रदान करना है, इसलिए, (i) किसानों द्वारा उपज की सीधी बिक्री की अनुमति देना, (ii) फलों और सब्जियों को एपीएमसी के दायरे से बाहर करना, (iii) किसान-उपभोक्ता बाजारों की स्थापना, (iv) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, (v) उपज की बिक्री के लिए इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार में शामिल होना आदि का प्रावधान किया जाना चाहिए। हालांकि, इस अधिनियम के तहत एकमात्र तमिलनाडु राज्य ने अनुबंध खेती कानून लागू किया है, जो 1 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी हुआ है।

अनुबंध खेती अधिनियम, 2020: 24 सितम्बर, 2020 को अधिनियमित अनुबंध खेती अधिनियम (सीएफए), 2020 का आधिकारिक नाम "किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर समझौता अधिनियम, 2020" है। यह अनुबंध खेती के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करता है। यह किसानों को कंपनियों के साथ लिखित अनुबंध करने और उनके उत्पादन के लिए एक कानूनी आधार प्रदान करता है। किसी भी कृषि उत्पाद के उत्पादन से पहले किया गया लिखित कृषि समझौता, कृषि उत्पाद और सेवाओं की आपूर्ति, गुणवत्ता, ग्रेड, मानकों, मूल्य के लिए नियम और शर्तों को सूचीबद्ध करता है। समझौते की न्यूनतम अवधि एक फसल मौसम या पशुधन का एक उत्पादन चक्र होगी, जबकि अधिकतम अवधि पाँच वर्ष है। कृषि उपज का मूल्य समझौते में उल्लेखित होना चाहिए। मूल्य में परिवर्तन के लिए, उपज के गारंटीकृत मूल्य और गारंटीकृत मूल्य से ऊपर किसी भी अतिरिक्त राशि के लिए स्पष्ट संदर्भ समझौते में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। यह विवाद समाधान तंत्र को परिभाषित करता है। यह सरल और संविदा कृषि अधिनियम का एक उन्नत संस्करण है, जिसे 20 राज्यों द्वारा पहले से ही अपनाया गया है। यह अधिनियम किसानों के पक्ष में संतुलन बनाता है। यह विभिन्न राज्यों में संविदा कृषि के प्रावधानों में पंजीकरण, लाइसेंस, जमा और विभिन्न अन्य अनुपालन की जटिल प्रणाली को हटा देता है।

किसानों और प्रायोजकों अर्थात् कृषि व्यवसाय फर्मों के बीच कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (अधिनियम) केवल दो प्रावधानों तक सीमित है: (i) उत्पादन से पूर्व किसानों और प्रायोजकों के मध्य सहमति से किसानों को सुनिश्चित कीमत भुगतान किए जाना और (ii) यदि वांछित हो, तो पारस्परिक रूप से सहमत निबन्धन और शर्तों पर किसानों को कृषि सेवाएं और आदान प्रदान करना। यह अधिनियम किसानों विशेषकर छोटे किसानों को मंडी और मूल्य जोखिमों से बचाना चाहता है, ताकि वे मंडी और कम कीमत की चिंता किए बिना उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती कर सकें। अधिनियम के अनुसार, किसानों द्वारा वांछित गुणवत्ता की उपज का उत्पादन किया जाएगा, न कि प्रायोजक द्वारा। प्रायोजक की भूमिका पहले से सहमत मूल्य पर उपज खरीदने और इनपुट सेवाओं की आपूर्ति करने तक सीमित है। यह अधिनियम पूर्व प्रचलित संविदा कृषि पद्धतियों की तुलना में सरल है और इसके कई खंड किसानों के हित में ज्यादा रखे गए हैं। यह कॉर्पोरेट फार्मिंग से बिल्कुल अलग है, जहां उत्पादन कार्यकलाप बिजनेस फर्मों द्वारा किए जाते हैं। अधिनियम में किसानों द्वारा प्रायोजक या फार्म को किसी भी रूप में जमीन लीज पर देने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रायोजक को किसान की जमीन या परिसर पर स्थाई परिवर्तन या स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने पर प्रतिबंध है। इसलिए कॉर्पोरेटों द्वारा किसानों की जमीन हड़पने या करार में छेड़खानी द्वारा बलपूर्वक संपत्ति हड़पने जैसी आशंकाएं पूरी तरह से निराधार हैं।

किसानों को शिकायतों के कानूनी निवारण की महंगी और लंबी प्रक्रिया से बचाने के लिए, करार एसडीएम और कलेक्टर या एडीशनल कलेक्टर के माध्यम से अपील प्रक्रिया के रूप में विवाद समाधान के लिए व्यवस्था करता है। किसानों से किसी भी तरह की वसूली के लिए किसान की जमीन के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। यदि प्रायोजक किसान को भुगतान करने में विफल रहता है, तो उस पर बकाया राशि का डेढ़ गुना जुर्माना देने का प्रावधान है। यदि कोई किसान करार से इनकार करता है, तो वसूली प्रायोजक द्वारा किसी भी अग्रिम भुगतान या उसके द्वारा आपूर्ति किए गए इनपुट की लागत से अधिक नहीं होगी। अधिनियम के प्रावधानों जैसे कि कृषि करार का पंजीकरण लागू करने के लिए राज्य सरकारों को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।

अनुबंध अधिनियम में किसी भी किसान के लिए इस करार को करना अपेक्षित नहीं है, यह निर्णय पूरी तरह से किसान के ऊपर ही छोड़ दिया गया है। अधिनियम में किसान की भूमि अथवा परिसर के हस्तांतरण, बिक्री, लीज, मोर्टगेज पर प्रतिबंध हैं। अधिनियम से संबंधित सभी आशंकाएं कार्पोरेट खेती से संबंधित हैं, जोकि पूर्णतः अलग व्यवस्था हैं और भारत के किसी भी राज्य में इसकी अनुमति नहीं है। एफपीएएफएस अधिनियम का झुकाव किसानों की तरफ है। कोई भी पक्ष सहमत अवधि के बाद करार को जारी रखने के लिए बाध्य नहीं है। यह अधिनियम विविधीकरण, प्रीमियम कीमत पर गुणवत्ता उत्पादन, इच्छुक उपभोक्ताओं को वांछित गुणवत्ता वाले उत्पाद की सीधी बिक्री और निर्यात को बढ़ावा देता है। यह कृषि क्षेत्र में नई पूंजी और नवीन ज्ञान को लाकर मूल्य श्रृंखला में किसानों की भागीदारी के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। यद्यपि अनुबंध कृषि अधिनियम कृषि में निजी क्षेत्रों को अधिक अनुमति और सुगमता प्रदान करता है, यह अधिक व्यापारियों के लिए जगह और प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा, जिससे फर्म एकाधिकार सीमित होगा। लेकिन अधिक खरीदार होने से बेहतर मूल्य और आय की गारंटी नहीं मिलती है, बल्कि सौदेबाजी और सौदेबाजी की शक्ति भी मायने रखती है। इसके अलावा, अधिनियम में अनुबंध कृषि संबंधी कई मुद्दे और चिंताएं हैं। यथा:

1. अनुबंध अधिनियम में मूल्य निर्धारण विधि का अभाव है, जैसा कि अधिनियम में कहा गया है कि गारंटीकृत कीमत या अतिरिक्त राशि निर्धारण के तरीकों को अनुबंध समझौते में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इसमें किस पद्धति का पालन किया जाएगा। यदि किसान बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए अधिक प्रायोजकों को अनुमति देना चाहते हैं तो क्या किसानों को शक्तिशाली प्रायोजक से बेहतर मूल्य के लिए बातचीत करने का मौका मिलेगा, इस बारे में अधिनियम अनुत्तरित है।
2. अनुबंध खेती में किसानों को गुणवत्ता के आधार पर अस्वीकृति से बचने के लिए गुणवत्तापूर्ण फसल का उत्पादन करना आवश्यक है, जिसके लिए उच्च उपज वाली फसलोत्पादन एवं आवश्यक गुणवत्ता के लिए हमेशा अधिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई और उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जो छोटे किसानों के लिए वहनीय नहीं हो सकता है। यद्यपि अनुबंध अधिनियम कृषि सेवाओं को समझौतों में उल्लेख करने की अनुमति देता है, लेकिन यह आश्वासन नहीं देता है कि किसानों को वे सेवाएँ गारंटीकृत प्राप्त होंगी, बल्कि इसके प्रायोजकों की क्षमता और इच्छा पर निर्भर होने की अधिक संभावना है। इसलिए, यदि प्रायोजक उचित इनपुट प्रदान नहीं करते हैं, तो छोटे किसानों के लिए पूंजी गहन अनुबंध खेती प्रथाओं से निपटना मुश्किल होगा। भले ही प्रायोजक उर्वरक या कीटनाशक प्रदान कर दें, लेकिन किसानों को बिजली, सिंचाई और परिवहन सुनिश्चित करना होगा। इससे अनुबंध खेती लघु एवं सीमांत किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
3. अधिनियम में प्राकृतिक आपदाओं या बीमारी के प्रकोप का उल्लेख किया गया है जो अपरिहार्य और उत्पादकों के नियंत्रण से परे हैं, उन्हें कृषि बीमा द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। लेकिन अधिनियम में उत्पादन हानि को अनदेखा किया गया है, जो मृदा की कम उत्पादकता और खराब प्रबंधन के कारण हो सकती है। अधिनियम में पर्यावरणीय स्थिरता को भी अनदेखा किया गया है, इसमें कीटनाशकों के उपयोग, पर्यावरणीय गिरावट, मृदा प्रबंधन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। जबकि अनुबंध प्रायोजकों पर उत्पादन हानि सहायता का प्रावधान अवश्य होना चाहिए।
4. एफपीओ का पंजीकरण छोटे किसानों को जोड़ने में मदद कर सकता है, लेकिन एफपीओ असमान रूप से वितरित हैं, और पंजीकरण लागत अधिक है। जबकि अध्ययन बताते हैं कि प्रायोजक किसानों के प्रति चयनात्मक और पक्षपाती होते हैं, क्योंकि वे अक्सर छोटे और संसाधन रहित किसानों को बाहर कर देते हैं। इसलिए, अनुबंध अधिनियम उन बाधाओं को हल करने में विफल हो सकता है जो छोटे किसानों को बाजार-उन्मुख खेती में शामिल होने से रोकती हैं। अतः अनुबंध अधिनियम होने के बावजूद अनुबंध खेती में छोटे किसानों की भागीदारी असुरक्षित है।
5. अनुबंध अधिनियम में खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय धारणीयता संबंधी चिंताओं का अभाव है क्योंकि अनुबंध खेती में प्रायः उच्च मूल्य वाली फसलें, वाणिज्यिक, नकदी, निर्यात फसलें और वस्तुएं शामिल होती हैं, जिनका चयन बाजार की मांग और प्रायोजकों की रुचि से निर्धारित होता है। अध्ययन बताते हैं कि भारत में अनुबंध खेती में

मुख्य रूप से टमाटर, आलू, मिर्च, औषधीय पौधे, बेबी कॉर्न, पपीता, खीरा, धान (मुख्यतः बासमती चावल), मूंगफली, सूरजमुखी, रागी, मेंथा, आम, काजू, गेंदा, प्याज जैसी सब्जी और फलों की फसलें शामिल रही हैं। ऐसी फसलों के चयन से फसल विविधता और कृषि पारिस्थितिकी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि इससे खेती की प्रथाएं गैर-खाद्य फसलो, नकदी और निर्यात फसलों की ओर स्थानांतरित हो सकती हैं, जिसका दीर्घकालिक प्रभाव अंततः देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर कर सकता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव: यद्यपि तीन कृषि कानूनों के क्रियांवयन पर भारत सरकार ने रोक लगा दिया है जिसमें अनुबंध अधिनियम भी शामिल है, लेकिन अनुबंध अधिनियम में उजागर खामियों पर विचार कर अधिक विश्वसनीय, आर्थिक रूप से उपयुक्त और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय बनाने के लिए उचित सुधारों पर विचार किया जा सकता है। सरकार, खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा 2012 में निर्गत "जिम्मेदार अनुबंध कृषि कार्यों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत" पर भी विचार कर सकती है। इन दिशा-निर्देशों में चौदह सिद्धांत शामिल हैं जिनका पालन अनुबंध खेती के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। इनमें 'सामान्य उद्देश्य', 'कानूनी ढांचे का पालन', 'स्पष्ट दस्तावेजीकरण', 'अनुबंध की पठनीयता', 'उचित ध्यान और समीक्षा', 'प्रकटीकरण', 'मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता', 'गुणवत्ता से संबंधित पारदर्शिता और निष्पक्षता', 'इनपुट आपूर्ति और उपयोग से संबंधित पारदर्शिता और निष्पक्षता', 'जोखिम कटौती में निष्पक्षता', 'खरीदार किसान संबंधों में अनुचित व्यवहार की रोकथाम', 'अनुबंध की शर्तों का सम्मान', 'खुली बातचीत', 'विवादों को निपटाने के लिए स्पष्ट तंत्र' शामिल हैं।

यद्यपि अनुबंध अधिनियम में एफएओ दिशा-निर्देशों में उल्लिखित कुछ सिद्धांत शामिल हैं। लेकिन सरकार अन्य सिद्धांतों पर भी विचार कर सकती है जो अनुबंध अधिनियम को अधिक पारदर्शी और लाभदायक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, 'कीमत निर्धारण में पारदर्शिता' उपज की बेहतर कीमत प्राप्त करने के लिए सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाएगी। 'गुणवत्ता खंड में पारदर्शिता और निष्पक्षता' और 'जोखिम घटाने में निष्पक्षता' खेती को अधिक कुशल बना सकती है, विशेषकर जब प्राकृतिक आपदाओं और उत्पादन हानि की स्थिति आती है। 'इनपुट आपूर्ति और उपयोग से संबंधित खंडों में पारदर्शिता और निष्पक्षता' सीमित संसाधन वाले छोटे किसानों के अनुबंध में शामिल होने, उच्च गुणवत्ता वाली फसलें पैदा करने और बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यदि सरकार अनुबंध अधिनियम में उपरोक्त सिफारिशें शामिल करती है, तो यह अनुबंध खेती को दोनों पक्षों के लिए लाभ की ओर अग्रसर कर सकती है।

कुल मिलाकर, भारत में अनुबंध खेती कोई नई प्रथा नहीं है; यह दशकों से बिना किसी विशिष्ट कानूनी ढांचे के समर्थन के अस्तित्व में रही है। व्यवस्थित प्रलेखित अनुबंध खेती फसल विविधीकरण, उत्पादन, आय वृद्धि, रोजगार सृजन आदि को बढ़ावा देती है। हालाँकि, अनुबंध खेती की प्रथाओं में व्याप्त खामियों के लिए एक बेहतर कानूनी ढांचा स्थापित होना आवश्यक है ताकि कृषि क्षेत्र को समृद्धि की ओर अग्रसर किया जा सके। कृषि को कॉर्पोरेट क्षेत्र के बजाय किसानों के हाथों में ही रहना चाहिए। अनुबंध खेती के साथ-साथ, राज्यों को स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, कृषि संगठनों, एफपीओ और संस्थानों के साथ समूह अनुबंधों को प्रोत्साहित करने पर विचार करना चाहिए ताकि अनुबंध संबंधों को मजबूत किया जा सके और उन्हें अधिक टिकाऊ एवं निष्पक्ष बनाया जा सके। छोटे किसानों की भागीदारी को अनुबंध खेती के अभ्यास में बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हस्ताक्षर करने से पहले, किसानों को मसौदा समझौते की समीक्षा करने और कानूनी सलाह लेने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। कीमत, गुणवत्ता, आपूर्ति और आगतों के उपयोग को निर्धारित करने के लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता होनी चाहिए। मूल्य और गुणवत्ता के आधार पर कीमत को पारदर्शी तरीके से पारस्परिक रूप से सहमत किया जाना चाहिए, जिसमें किसानों को समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के दौरान सौदेबाजी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जब खुले बाजार की कीमत अनुबंध पर सहमत मूल्य की तुलना में बढ़ जाती है, तो प्रायोजक खुले बाजार की कीमत पर खरीद करने पर विचार कर सकते हैं। हालाँकि इसे किसानों के लिए अवसर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, पंजाब में मार्कफेड के साथ अनुबंध खेती साझेदारी में यह प्रावधान भी शर्तबद्ध है कि यदि खुले बाजार की कीमत बढ़ जाती है, तो प्रायोजकों को उत्पाद वर्तमान बाजार मूल्यों के अनुसार खरीदना होगा, लेकिन यदि खुले बाजार में गिरावट आती

है, तो प्रायोजक किसानों को अनुबंध मूल्य उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे। यदि किसानों को इनपुट की आवश्यकता है, तो प्रायोजक या सरकार को उन्हें आपूर्ति करनी चाहिए; अन्यथा, संसाधन रहित लघु एवं सीमांत किसानों के लिए अनुबंध समझौते में प्रवेश करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस तरह, देश में अनुबंध खेती के लिए सार्थक और गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। जैसा कि प्रमोद कुमार, ए.वी. मंजूनाथ, सुमन के. सौरव ने अपनी पुस्तक "कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड लैंड टेनेंसी इन इंडियन एग्रीकल्चर (2020)" में कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आय और विविधीकरण बढ़ा है, हालांकि उत्पादन की लागत अधिक है और छोटे किसानों को अपेक्षाकृत कम लाभ हुआ है। इसलिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रथा में एक कानूनी ढांचा होना चाहिए ताकि इसको अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जा सके।

स्रोत एवं संदर्भ:

1. बारिक, पी. (2021)। भारत के संविदा कृषि अधिनियम 2020 का एक आलोचनात्मक विश्लेषण, एग्रीकल्चरल इकॉनमिक्स रिसर्च रिव्यू, 34, 165–174.
2. रे, एन., क्लार्क, जी, एवं वैली, पी. (2021)। किसानों के कल्याण और आजीविका पर अनुबंध खेती का प्रभाव: पश्चिम बंगाल का एक गाँव का केस स्टडी, रूरल स्टडीज जर्नल, 86, 127–135.
3. रे, आर. के, कुमारी, एम, सिन्हा, पी, उमराव, ए, एवं नायक, एस (2020)। भारत में अनुबंध खेती की समस्या और संभावनाएँ। फूड एंड साइंटिफिक रिपोर्ट (एफएसआर), 1, 63–68.
4. प्रमोद कुमार, ए.वी. मंजूनाथ, सुमन के. सौरव (2020)। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड लैंड टेनेंसी इन इंडियन एग्रीकल्चर, सेज पब्लिकेशन नई दिल्ली: पहला संस्करण, 2020, पृष्ठ-352।
5. बेहरा, डी. के (2019)। भारत में संविदा कृषि में किसानों की भागीदारी: बिहार का एक अध्ययन, एग्रीकल्चरल इकॉनमिक्स रिव्यू, 20(2), 80–89.
6. विकोल, एम (2019)। आलू, लघु वस्तु उत्पादक और आजीविका: महाराष्ट्र, भारत में अनुबंध खेती और कृषि परिवर्तन, जर्नल ऑफ एग्रेरियन चेंज, 19(1), 135–161.
7. बेलेमारे, एम. एफ, एवं ब्लोम, जे. आर (2018)। डज कान्टेक्ट फार्मिंग इम्प्रूव वेलफेयर: अ रिव्यू, वर्ल्ड डेवलपमेन्ट, 112, 259–271.
8. पी. टी. जार्ज एवं अफसर जाफरी (2018)। एक विवादास्पद समझौता: अनुबंध खेती और भारत के छोटे किसान, फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ, फोकस इंडिया प्रकाशन, नई दिल्ली: अगस्त, 2018, पृष्ठ-70।
9. कुमार, ए, रॉय, डी, त्रिपाठी, जी, जोशी, पी. के, एवं अधिकारी, आर. पी. (2018)। डज कान्टेक्ट फार्मिंग इम्प्रूव प्रॉफिट एंड फूड सेफ्टी? नेपाल में टमाटर की खेती के प्रमाण, जर्नल ऑफ एग्रीबिजनेस इन डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज़, 8(3), 603–624।
10. मंजूनाथ, ए.वी (2016)। भारत में अनुबंध खेती की वर्तमान स्थिति और संभावनाएँ, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, वाल्यूम-8, अंक-7, आईएसएसएन, 0975–3710.
11. कुमार, अंजनी; रॉय, देवेश; त्रिपाठी, गौरव; जोशी, प्रमोद कुमार; एवं अधिकारी, राजेंद्र प्रसाद (2016)। नेपाल में छोटे किसानों के मुनाफे और उपज पर अनुबंध खेती का प्रभाव: मसूर की खेती से एक प्रमाण, एग्रीकल्चरल एंड एप्लाइड इकॉनमिक्स असोसिएशन की वार्षिक बैठक, बोस्टन, मैसाचुसेट्स, कांफ्रेंस पेपर, 31 जुलाई-2 अगस्त, 2016।
12. दत्ता अलॉय एट अल. (2016)। आलू के लिए पेप्सिको अनुबंध खेती का एक केस स्टडी, आईओएसआर जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, आईएसएसएन: 2278–487X।
13. चक्रवर्ती, मानस. (2015)। भारत में अनुबंध खेती पर एक अनुभवजन्य अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेटिव एंड प्यूब्लिक रिसर्च, वाल्यूम-2, अंक-5।
14. पंडित, ए, लाल, बी, एवं राणा, आर. के. (2015)। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में आलू की अनुबंध खेती का आकलन, पोटेटो रिसर्च, 58, 1–14.
15. कौर, प्रीतिंदर (2014)। आलू की अनुबंध खेती: पेप्सिको पौधे का एक केस स्टडी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च पब्लिकेशंस, वाल्यूम-4, अंक-6, जून 2014।

16. हरीश, एन. (2014)। भारत में कृषि विकास के लिए अनुबंध खेती, इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ मार्केटिंग एंड इकॉनमिक्स, कर्नाटक (भारत), वाल्यूम-1, अंक-4।
17. मंजूर, हारिस (2014)। भारत में संविदा खेती: कृषि विकास के लिए एक आर्थिक साझेदारी, इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ मार्केटिंग एंड इकॉनमिक्स, वाल्यूम-1, अंक-3।
18. बैरेट, सी. बी, बाचके, एम. ई, बेलेमारे, एम. एफ, माइकलसन, एच. सी, नारायणन, एस, एवं वॉकर, टी. एफ (2012)। संविदा कृषि में लघु कृषकों की भागीदारी: पाँच देशों से तुलनात्मक साक्ष्य, वर्ल्ड डेवलपमेन्ट, 40(4), 715-730.
19. धीमान, आर. सी, एवं गांधी, जे. एन (2012)। विमको के पॉप्लर कार्यक्रम में क्लोनल विकास और विविधता, एनविस फॉरेस्ट्री बुलेटिन, 12(1), 40-48।
20. शुक्ला, रुचिरा एवं चौधरी, भावेश (2011)। दक्षिण गुजरात में केला किसानों का संविदा खेती के प्रति दृष्टिकोण, इंडियन भारतीय एग्रीकल्चरल रिसर्च जर्नल, वाल्यूम-45।
21. पंडित, ए, पांडे, एन. के, राणा, आर. के, एवं लाल, बी. (2009)। आलू की अनुबंध खेती से लाभ का एक अनुभवजन्य अध्ययन। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकॉनमिक्स, 64(3).
22. बिरथल, पी. एस, एवं जोशी, पी. के (2009)। अनुबंध खेती में दक्षता और समानता: भारत में डेयरी उद्योग के एक केस स्टडी से साक्ष्य, क्वार्टरली जर्नल ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर, 48(4), 363.
23. कुमार, जे, एवं कुमार, के. पी. (2008)। अनुबंध खेती: समस्याएँ, संभावनाएँ और आय एवं रोजगार पर इसका प्रभाव। एग्रीकल्चरल इकॉनमिक्स रिसर्च रिव्यू, 21(2), 243-250।
24. गुलाटी, ए, जोशी, पी. के, एवं लैंड्स, एम. (2008)। भारत में अनुबंध खेती: एक परिचय, पालिसी पेपर, नई दिल्ली: राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान केंद्र।
25. कुमार, शिव (2007)। हरियाणा में कपास के बीज की संविदा खेती के संचालन और प्रदर्शन का तरीका, एग्रीकल्चरल इकॉनमिक्स रिसर्च रिव्यू, वाल्यूम-20, पृष्ठ 99-116।
26. ढिल्लों, एस. एस, सिंह, एन एवं ढिल्लों, एस.एस (2006)। पंजाब में टेका खेती: समस्याओं, चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण, पाकिस्तान इकॉनमिक एंड सोशल रिव्यू, 19-38.
27. त्रिपाठी, आर. एस, सिंह, आर, एवं सिंह, एस. (2005)। आलू उत्पादन में अनुबंध खेती: जोखिम और अनिश्चितता के प्रबंधन का एक विकल्प, एग्रीकल्चरल इकॉनमिक्स रिसर्च रिव्यू, 18, 47-60।
28. देशपांडे, सी. एस (2005)। विमको पॉपलर कार्यक्रम: मूल्यवर्धित कृषि के साधन के रूप में संपर्क खेती, नाबार्ड, डीइएआर ऑकैजिनल पेपर, 42.
29. दिलीप, बी. के, ग्रोवर, आर. के, एवं राय, के. एन. (2002)। टमाटर में अनुबंध खेती: एक आर्थिक विश्लेषण। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकॉनमिक्स, 57(2), 197-210।
30. एस. सिंह (2000)। भारतीय पंजाब में कृषि विविधीकरण के लिए अनुबंध खेती: प्रदर्शन और समस्याओं का एक अध्ययन, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकॉनमिक्स, वाल्यूम-55, अंक-6, 283-294।

आलेख उद्धरित करें:	डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन' (2025)। भारत में अनुबंध खेती का एक अवलोकन, बुंदेलखंड जर्नल ऑफ एकेडमिक रिसर्च (बीजेएआर), वाल्यूम-1, अंक-1, जुलाई-सितंबर 2025, पृष्ठ 11-24।
---------------------------	---